FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0028 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 22/07/2025 21:00 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 25/01/2011 **Date To (दिनांक तक):** 19/11/2014

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/07/2025 **Time (समय):** 20:11 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 026 **Date and Time (दिनांक और समय):** 22/07/2025 20:11 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 80 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): भिवानी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): निरीक्षक सुलेन्द्र कुमार ए 47

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1972 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	उपकेन्द्र चरखी दादरी राज्य, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरोCHARKHI DADRI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	उपकेन्द्र चरखी दादरी राज्य, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरोCHARKHI DADRI, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9812507707

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुरेन्द्र		Father's Name: रामानन्द	1. विधवान तहसील सिवानी, BHIWANI,HARYANA,INDIA
2	धर्मप्रकाश कानूनगो		Father's Name: सुरुप सिंह	1. 10 ए,फ्रैन्डस कालोनी हिसार,HISAR,HARYANA,INDIA
3	सुरेन्द्र वर्मा तहसीलदार			1. 532,भगत सिंह पार्क वाली गली,शिव चौक सिरसा,SIRSA,HARYANA,INDIA
4	संजय कुमार बिश्नोई तहसीलदार			1. 1535,सैक्टर 14 हिसार,HISAR,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
प्रबन्धक थाना,
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(ह0)
हिसार मण्डल हिसार ।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक 04 दिनांक 20.08.2020 भिवानी शिकायतकर्ता मनोज कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल निवासी झुम्पा कलां तहसील सिवानी जिला भिवानी की शिकायत के आधार पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, के यादि क्रमांक 62/33/2020 -4 चौ0 II दिनांक 19.08.2020 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 8769/I-3/SVB(H) dated 21.08.2020 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर इस मण्डल में पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी । उपरोक्त जांच की पङताल जांच अधिकारी द्वारा करने उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1756 दिनांक 21.04.2025 द्वारा अंतिम रिपोर्ट अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला को भेजी गई थी । जिस पर अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला हरियाणा की टिप्पणी व अंतिम रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक 9790/I-3/भ्र0नि0ब्यूरो (ह) दिनांक 28.05.2025 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी । इसके उपरान्त उपरोक्त जांच के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, के कार्यालय यादि क्रमांक 62/33/2020-4VII dated 02.07.2025 व अतिरिक्त महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह0) पंचकुला के कार्यालय पृष्ठांकन 13040/1-3/SV ACB(H) dated 07.07.2025 अनुसार धर्मप्रकाश तत्कालीन कानूनगो कार्यालय बिक्री भिवानी पुत्र श्री सरूप सिह निवासी मकान न0 10-ए फ्रैन्डस कालोनी हिसार, सुरेन्द्र सिह, तत्कालीन तहसीलदार, बिक्री भिवानी निवासी मकान न0 532, भगत सिह पार्क वाली गली शिव चौक सिरसा, संजय बिश्नोई तत्कालीन तहसीलदार बिक्री भिवानी निवासी मकान न0 1535 सैक्टर-14 हिसार व सुरेन्द्र पुत्र रामानन्द निवासी विधवान तहसील सिवानी जिला भिवानी के विरूद्व अभियोग दर्ज करने हेतू इस मण्डल में प्राप्त हुई

दिनांक 25.01.2011 को हरियाणा सरकार की एक पालिसी आई थी पोलिसी के अनुसार दिनांक 01.01.2001 से वर्ष 2011 तक जिन भी व्यक्तियों का कस्टोडियन की भूमि पर जायज कब्जा था उनको भूमि अंतरण की जा सकती थी। कब्जाधारकों ने सरकार की पालिसी के अनुसार कस्टोडियन भूमि पर अपनी काबिज होने की दावेदारी के कागजात (प्रार्थना पत्र, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी, बिजली बिल, हाऊस टैक्स, पानी बिल आदि) कार्यालय तहसीलदार बिक्री भिवानी को पेश किए थे । पोलिसी के अनुसार भूमि अन्तरण के लिए तहसीलदार कार्यालय बिक्री भिवानी में कुल 294 आवेदन प्राप्त हुए थे। तहसीलदार कार्यालय बिक्री भिवानी में धर्मप्रकाश तत्कालीन कानूनगो व औम प्रकाश तत्कालीन कलर्क ने 40 आवेदनकर्ताओं के कस्टोडियन भूमि पर काबिज होने के कागजात दुरूस्त मान कर रिपोर्ट तैयार की थी। इसके उपरान्त तत्कालीन तहसीलदार बिक्री श्री संजय बिश्नोई व श्री सुरेन्द्र वर्मा द्वारा कस्टोडियन भूमि पर काबिज व्यक्तिगण को भूमि अंतरण करने के आदेश किए थे । तहसीलदार बिक्री द्वारा अंतरण आदेश करने के एक महिने के अन्दर इन अंतरणियो द्वारा भू-प्रयोग राशि कुल कीमत का 20 प्रतिशत सरकारी खजाना (ट्रेजरी) में जमा करवाया था। अंतरण की गई कस्टोडियन भूमि का कलेक्टर रेट बाजारी भाव/औसत वैय तत्कालीन कानूनगो धर्मप्रकाश द्वारा चैक

करके तय किया गया था। इसके उपरान्त तत्कालीन तहसीलदार (बिक्री) भिवानी संजय बिश्नोई द्वारा भूमि के अंतरण की मंजूरी दी गई थी। उसके पश्चात फाईलें तत्कालीन उपायुक्त-कम-आयुक्त (बिक्री) भिवानी के कार्यालय में भिजवाई गई थी । इसके उपरान्त मंजूर की गई फाईलों की बकाया राशि अंतरणियो द्वारा सरकार के खजाने में जमा करवाई थी व कस्टोडियन भूमि को अंतरणियो के नाम किया गया था। अंतरण के विषय में शिकायतकर्ता मनोज कुमार द्वारा शिकायत की गई कि यह अंतरण आदेश तहसीलदार (बिक्री) भिवानी में कार्यरत स्टाफ द्वारा फर्जी तौर पर पारित किये गए हैं। इस शिकायत के सम्बंध में राजस्व विभाग हरियाणा द्वारा तत्कालीन उपायुक्त भिवानी से श्री डी0के0 बेहरा द्वारा भूमि अन्तरण के केसों की सूचि भेजकर स्थिति स्पष्ट करवाई तो पाया गया कि अंतरण आदेश तत्कालीन उपायुक्त-कम-आयुक्त बिक्री भिवानी द्वारा फाईल नंबर 383/V, फाईल नंबर 400/V, फाईल नम्बर 338/V, फाईल नम्बर 5227/V, फाईल नम्बर 379/V पर दिनाक 19.11.2014 को अनुमोदन किया गया था जिसकी जांच वित आयुक्त एवम् राजस्व विभाग चण्डीगढ द्वारा करवाई गई। जांच में श्री डी.के. बेहरा भा0प्र0 से0 तत्कालीन आयुक्त बिक्री भिवानी ने पत्र क्रमांक PS-DMER-2020/Per/4724 Dated28.05.2020 में स्पष्ट तौर पर लिखित में दिया है कि दिनांक 19.11.2014 को उनके द्वारा किसी भी अंतरण फाईल को मंजूर नहीं किया गया है उन पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं।अतः पड़ताल के दौरान पाया गया कि उपरोक्त पांचो फाईल क्रमश भूमि अंतरण फाईल नंबर 383/V अतंरणी श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री पूलमचंद निवासी वार्ड नंबर 3 रेलवे रोड सिवानी जिला भिवानी, अंतरण फाईल नंबर 400/V अंतरणी श्री शंकर लाल पुत्र श्री लादू निवासी गांव सैनीवास तहसील सिवानी, जिला भिवानी, अंतरण फाईल नंबर 5227/Vअंतरणी श्रीमती बरसाती देवी विधवा श्री स्व0 वेदप्रकाश आदि निवासी जैन चौक भिवानी तहसील व जिला भिवानी अंतरण फाईल नंबर 338/V अंतरणी श्रीमति राममूर्ति स्वः रामानन्द पुत्र श्री बंगड़ावत सिंह निवासी वार्ड नं013 सिवानी तहसील सिवानी, जिला भिवानी व अंतरण फाईल नंबर 379/V अंतरणी श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री रामानन्द निवासी व डाकखाना विधवान, तहसील सिवानी, जिला भिवानी का अनुमोदन तत्कालीन आयुक्त (बिक्री) कम उपयुक्त भिवानी श्री डी0के0 बैहरा से करवाया जाना था परन्तु तत्कालीन कानूनगो धर्मप्रकाश पुत्र श्री सरूप सिंह, तत्कालीन कानूनगो बिक्री भिवानी अब सेवानिवृत नायब तहसीलदार बिक्री मुख्यालय, चण्डीगढ़ हाल निवासी मलान न0 10ए फ्रेन्डस कालोनी हिसार, ओमप्रकाश क्लर्क, कार्यालय तहसील बिक्री भिवानी व सुरेन्द्र सिंह तहसीलदार (विक्री) भिवानी हाल आबाद मकान नं0532. भगत सिंह पार्क वाली गली, शिव चौक, सिरसा, संजय विश्नोई तत्कालीन तहसीलदार बिक्री भिवानी म.नं. 1535 सेक्टर 14 हिसार ने उपरोक्त पांचो फाईलों पर आपस में मिलीभगत करके तत्कालीन उपायुक्त कम आयुक्त बिक्री भिवानी श्री डी0के0 बहरा के फर्जी हस्ताक्षर करके तथा दिनांक 25.01.2011 की पोलिसी के नियमों के विरुद्ध जाकर भूमि अंतरण के कागजात अवलोलन किये बिना तथा आवेदनकर्ता द्वारा पेश किये गये दस्तावेज को ही आधार मानकर बिना मौका निरीक्षण किये, व केस फाईल नम्बर 379/V में आवेदनकर्ता सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामानन्द वासी विधवान जिला भिवानी को लाभ पहुंचाने की नियत से तत्कालीन कानूनगो धर्मप्रकाश व तत्कालीन तहसीलदार संजय विश्नोई द्वारा सिवानी बस स्टैण्ड की जमीन का गलत अंतरण मंजूर करके तथा भू प्रयोग की कीमत राशि में तथा चालान राशि में कटिंग व ओवर राईटिंग करके उपरोक्त कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलीभगत करके उपरोक्त सभी ने जेर धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 आई0पी0सी0 व 13 (1) (डी0)r/w 13(2) पी0सी0 एक्ट का जुर्म किया है परन्तु ओमप्रकाश तत्कालीन क्लर्क की दिनांक 17.06.2020 को मृत्यु हो चुकी है । अतः तत्कालीन कानूनगो धर्मप्रकाश, तत्कालीन तहसीलदार सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन तहसीलदार संजय बिश्नोई, सुरेन्द्र पुत्र रामानन्द वासी विधवान उपरोक्त के खिलाफ जुर्म जेर धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 आई0पी0सी0 व 13 (1) (डी0) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर प्रस्तुत है ।

SD Sulender Singh

निरीक्षक सुलेंन्द्र कुमार

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधकब्यूरो,

उपकेन्द्र चरखी दादरी ।

दिनांक 22.07.2025

अज थाना- हस्ब आमद तहरीर पर मु.न. 28 दिनांक 22.07.2025 जेर धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 आई0पी0सी0 व 13 (1) (डी0) r/w 13(2) पी0सी0एक्ट PS SV ACB Hisar दर्ज रजि. किया जाकर प्र.सु.रि. मय असल तहरीर मय रिकार्ड आगामी तफ्तीश हेतू निरीक्षक नरेन्द्र सिह न.459/H के पास भिजवाई जा रही है । प्र.सु.रि. की स्पैशल प्रतियां तैयार करके बजरियां EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी की

सेवा में भेजी जा रही हैं ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Narender Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 894 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Mohinder Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 293/H

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.